राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938
dirminority@gmail.com

क्रमांक: एफ 4 (6)/असनि/DBT वाउचर/2022–23/16614 जयपुर, दिनांक 25/11/2022

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विज्ञप्ति के प्रकाशन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना हेतु अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आवेदन आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति संलग्नानुसार प्रकाशित करवाई जानी है। कृपया संलग्न विज्ञप्ति (09 प्रतियां) आपके विभाग की अनुमोदित दरों के आधार पर न्यूनतम स्पेस में 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर देय राशि का बिल तीन प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार 09 प्रतियां।

23.XI.22

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 4 (6)/असनि/DBT वाउचर/2022–23/16615-23 जयपुर, दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा ।
6. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
7. सहायक निदेशक, द्वितीय (विज्ञापन शाखा), कार्यालय हाजा।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ...(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करें एवं SJED द्वारा ज़ारी योजना के संचालन की प्रक्रिया क्रमांक एफ 11 (2) (70)/रा.छा./सान्या.अवि./20–21/7328 दिनांक 01.07.2021 एवं आदेश क्रमांक 8908 दिनांक 24.08.2021 की पालना करते हुए SJED के पोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें।
9. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को संबंधित को ई–मेल करने/विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(अलका बिश्नोई)
उपनिदेशक द्वितीय

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141-2711978, 2711938

क्रमांकः एफ 4 (6)/असनि/DBT वाउचर/2022-23/16624 जयपुर, दिनांकः 25/11/2022

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी) के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों (बालक) हेतु ''अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना'' में दिनांक 15.11.2022 से आवेदन आमंत्रण

1. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों के केवल शैक्षिक पाठ्यक्रमों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी) के छात्रों (केवल बालक) को, जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेइंग गैस्ट के रूप में) अध्ययन करते हैं उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत राशि रू. 2000/- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी।
2. योजनान्तर्गत अन्य वर्गों की भाँति इस वर्ष अर्थात शैक्षिक सत्र 2022-23 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों के 500 छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।
3. योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
4. **आवेदन प्रक्रियाः-** योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/एस. एस. ओ. आई. डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in एवं http://SJMS.rajasthan.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। आवेदन हेतु पात्रता/शर्तों हेतु जारी दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
5. **योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालयः-** छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जायेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी किया जायेगा।
6. **स्वीकृतकर्ता अधिकारीः-** योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा की जावेगी।
7. **भुगतान प्रक्रियाः-** अभ्यर्थी को मासिक/प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
8. **योजनान्तर्गत दिनांक 15.12.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।**

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

1123